भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 766**

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

**जनजातीय समुदायों के विकास के लिए योजनाएं**

766. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार पलामू और गढ़वा के जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए एक विशेष विकास पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

**(क):** जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, आजीविका, उद्यमशीलता, अवसंरचना तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

ii. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा

पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

**अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना:** यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के अंतर्गत दो उप-योजनाएं हैं, अर्थात्:

iii. **(क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के नाम से विदित):** इस योजना के अंतर्गत, प्रबंधन, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि (कानून) आदि जैसे पेशेवर (व्यावसायिक) क्षेत्रों में चयनित उत्कृष्ट श्रेणी के सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 265 संस्थानों में अध्ययनरत तथा जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 6.0 लाख रुपये से अधिक न हो, ऐसे सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है। **(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) योजना**: स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के पश्चात भारत में पीएच.डी. करने वाले मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है। प्रतिवर्ष पीएच.डी. हेतु नई अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 750 होगी। स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक वाले तथा 36 वर्ष की आयु तक के अनुसूचित जनजाति के छात्र इस योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। अध्येतावृत्ति की राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की दरों के समकक्ष है।

iv. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति:** यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत मेधावी अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों को विदेश में शीर्ष 1000 रैंक (नवीनतम क्यूएस विश्व रैंकिंग के अनुसार) वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यह योजना वर्ष 1954-55 से प्रारंभ की गई है। यह योजना विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों, विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। प्रतिवर्ष बीस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिन अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परिवारिक आय 6.0 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

v. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** माननीय प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 63,843 गाँवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को दूर करना छात्रावासों, आंगनवाड़ी सुविधाओं और सचल चिकित्सा इकाईयों जैसे सामाजिक अवसंरचना प्रदान करना और 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में वन धन केंद्र की स्थापना करके 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रूपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रूपये) है।

vi. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित छात्रावास और सचल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू) सहित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य का हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

vii. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। .

viii. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि को कवर करने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

ix. **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):** यह योजना दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये विद्यालय जनजातीय छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं।

x. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** यह मिशन मूल्यसंवर्धन, उद्यमिता विकास, विपणन सहायता तथा जनजातीय उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की सतत आजीविका को बढ़ावा देता है, जिसमें लघु वनोपज तथा अन्य जनजातीय उत्पादों पर आधारित मूल्य श्रृंखलाओं पर विशेष बल दिया जाता है।

xi. **जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई):** यह योजना जनजातीय संस्कृति के अनुसंधान, प्रलेखन, क्षमता निर्माण, संरक्षण एवं संवर्धन, जागरूकता सृजन, सूचना प्रसार तथा साक्ष्य-आधारित नीति समर्थन हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान करती है।

xii. **निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा (मेस्सा):** यह योजना साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण, नीति निर्धारण तथा जनजातीय विकास पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन, प्रभाव आकलन, सर्वेक्षण तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा को सहायता करती है।

xiii. **अनुसूचित जनजातियों हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एसटी):** यह योजना आय-सृजनकारी उद्यमों की स्थापना एवं विस्तार हेतु अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को रियायती उद्यम पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

xiv. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी):** जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह एक शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु की गई है और यह आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। एनएसटीएफडीसी पात्र अनुसूचित जनजाति समुदायों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

उपर्युक्त योजनाओं में से कुछ केन्द्र प्रायोजित हो सकती हैं और अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हो सकती हैं।

**(ख):** भारत सरकार ने झारखंड राज्य में 91 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) अनुमोदित किए हैं, जिनमें से 30.06.2026 तक 51 ईएमआरएस कार्यात्मक हैं।

**(ग):** मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 7.66 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को सहायता प्रदान की गई है, जबकि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 17.17 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत, 2,961 अनुसूचित जनजाति छात्रों को पीएच.डी. अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, जबकि 8,571 अनुसूचित जनजाति छात्रों को उच्चतर शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर आदि) हेतु छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के माध्यम से कार्यान्वित आजीविका उपायों के अंतर्गत, 4,172 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे लगभग 12.48 लाख जनजातीय सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के वीडीवीके घटक के अंतर्गत, 540 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 46,042 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय

अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान आय सृजन, स्वरोजगार तथा आजीविका गतिविधियों हेतु 4,95,090 लाभार्थियों को 1,648.39 करोड़ रूपये की रियायती ऋण राशि संवितरित की है।

**(घ):** सरकार अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु क्षेत्र-आधारित तथा आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। झारखंड में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास हेतु पलामू जिले को पीएम-जनमन के अंतर्गत कवर किया गया है, जबकि पात्र जनजातीय गांवों में अवसंरचना तथा बुनियादी सेवाओं की संतृप्ति हेतु गढ़वा जिले को डीएजेजीयूए के अंतर्गत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत पलामू तथा गढ़वा जिलों में एक-एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्वीकृत किया गया है, तथा दोनों विद्यालय कार्यात्मक हैं। तदनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकासात्मक उपाय इन चल रही योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

*****